L.N.393-W/M- / Instruction / 0/Vol–III Date 01/01/2024

मंडल कार्यालय आदेश 01/2024

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेड़तारोड
समस्त लोकोपायलट, लोकोपायलट शंटर एवम सहायक लोकोपायलट

विषय : लोको पायलट द्वारा ट्रेन संचालन के दौरान गति सीमा का पालन करना (G&SR 4.08)

ट्रेन संचालन के दौरान निर्धारित गति सीमा तथा स्थायी/अस्थायी गति प्रतिबन्ध की कड़ाई से अनुपालना हेतु सभी मुख्य लोको निरीक्षको को निर्देश दिए जाते है कि अपने नामित व अन्य रनिंग स्टाफ को इस विषय पर निम्न निर्देशों के बारे में काउन्सलिंग कर मंडल कार्यालय में रिपोर्ट जमा करवाये |

- ऑन ड्यूटी के लिए अंतिम क्षणों में भाग दौड़ न करें। समय से साईन ऑन करें तथा कॉशन को अतिध्यानपूर्वक पढे व जांचे | इससे गति प्रतिबन्ध के अनुपालन में आत्मविश्वास रहेगा तथा गति प्रतिबन्ध के उल्लंघन से बचाव होगा |
- L/P, ALP कॉशन आर्डर की अपनी प्रति स्वयं अपने हस्ताक्षर से प्राप्त करें तथा यह सुनिश्चित करें कि दिया गया कॉशन आर्डर उनकी ही गाड़ी के लिए है |
- L/P, ALP अपने कॉशन आर्डर को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा दोनो आपस में कॉशन आर्डर पर चर्चा कर आश्वस्त हो जायें। तथा L/P, ALP अपने-अपने कॉशन आर्डर पर लिखें कि 'मैने गति प्रतिबन्ध समझ लिया है। कोई संशय नहीं है |
- कॉशन आर्डर में किसी भी बिंदु (दिनांक, समयावधि, किमी, गति, खण्ड, कटिंग, धुंधला लिखा होना आदि पर किसी प्रकार का संशय होने पर क्रू कन्ट्रोलर /Dy.SS से बात करके, पूर्णतः स्पष्ट कर ले। (G&SR 4.09(3))
- कॉशन आर्डर को चालक दल हमेशा अपने सामने आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर रखेगा मेन लाईन के कॉशन ⬆ पर व लूप लाइन के कॉशन पर ⬬ चिन्ह बनाने से याद रखने में मदद मिलती है |
- गाड़ी संचालन के दौरान कैब में LP और ALP आपस में अनावश्यक/व्यर्थ की बातचीत न करें |
- किसी ब्लॉक सेक्शन में यदि कोई कॉशन नहीं है तो "निल कॉशन" कॉल आउट करें |
- LP तथा ALP सेक्शन में प्रवेश करते समय कॉशन के प्रति सजग रहें, प्रभावशाली तरीके से स्पीड सहित किमी नम्बर कॉल आउट कर उनका कड़ाई से अनुपालन करें |
- यदि कोई आकस्मिक कॉशन आर्डर मिलता है तो उसका कड़ाई से अनुपालन करें, डायरी में नोट करें तथा CNL को सूचित करें।
- यदि कॉशन आर्डर मिला हो, परन्तु नियमनुसार SR का बोर्ड न लगा हो, तो किमी न. से उसकी पलना करे तथा कॉशन आर्डर पर लिखे व CMS में दर्ज करे |
- यदि कॉशन आर्डर में SR का उल्लेख न हो परन्तु कॉशन इण्डिकेटर लगा हो तो सावधानीपूर्वक SR का पालन करें कंट्रोल /ट्रेन मेनेजर को बताये एवं ऑफ ड्यूटी के समय CMS में दर्ज करे |
- OHE से सम्बन्धित SR मिलने पर पेन्टो लोअर/रेज जोन पर अत्यधिक सर्तक रहें |
- टर्न आउट एवं कॉस-ओवर पर निर्धारित गति सीमा का पालन करें (G&SR-4.10(3))
- लॉन्ग हॉल ट्रेन वर्किंग के दौरान लीडिंग लोको एवम ट्रेलिंग लोको के क्रू कार्य से पूर्व कॉशन आर्डर मिला लें| SR पालन हेतु वाकी टॉकी या ट्रेन मेनेजर द्वारा समन्वय बनाये जिससे ट्रेन पार्ट /SR VIOLATION की घटना न हो |
- ऑन एप्रोच सिगनल या टूबल शूटिंग के दौरान SR से ध्यान कदापि न हटाएं |
- स्टॉप इन्डीकेटर बोर्ड और बेनर फ्लैग का कड़ाई से अनुपालन करें |
- CAUTION पालन के उपरांत गाड़ी की गति तभी बढ़ाये जब किमी अनुसार प्रतिबंधित गति क्षेत्र/TP/T/G बोर्ड पार कर जाये और ट्रेन मेनेजर द्वारा आल राईट मिल जाये |
- ALP तेज आवाज़ में SR कॉल आउट करे तथा LP इसे स्पष्टता से दोहराए|
- यदि ALP के SR के पालन करने हेतु कॉल आउट करने के बाद भी LP गति नियंत्रण नहीं करता है तो ALP समय रहते R.S /इमरजेंसी वाल्व का प्रयोग कर SR VIOLATION को बचाए |

1/1/24
वरी.मंडल यांत्रिक इंजी.(Enhm&P)
उ.प.रेलवे,जोधपुर

प्रतिलिपि – मंडल रेल प्रबन्धक ,सादर सूचनार्थ
अपर मंडल रेल प्रबन्धक ,सादर सूचनार्थ
वरि.मंडल संरक्षा अधिकारी, सूचनार्थ
स.म.या.इंजी.(शक्ति), सूचनार्थ